


[20/2/2026]

प्रश्न सं. [क. 1274]



S.T.D. Code No. - 07

Phone No. (0) - 241

Fax No. 241704, 2453

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला छतरपुर (म.प्र.)

क्रमांक 41 /DUDA/2026

छतरपुर, दिनांक 04 / 02 / 2026

प्रति,

महानिदेशक,
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ
म.प्र. भोपाल

विषय : आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के अपराध क्रमांक 102/22 के अन्तर्गत लोक सेवक आरोपीगण (1) श्रीमती गुडडी बाई पति श्री जाहार सिंह अध्यक्ष, नगर परिषद घुवारा जिला छतरपुर (2) श्रीमती अंजना पति श्री यादवेन्द्र सिंह, पार्षद, नगर परिषद घुवारा जिला छतरपुर के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक/अपराध/सागर/अप.क्र.-102(22)/1356A/2025 दिनांक 25-8-2025

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 102/22 की विवेचना उपरान्त लोक सेवक आरोपीगण (1) श्रीमती गुडडी बाई पति श्री जाहार सिंह अध्यक्ष नगर परिषद घुवारा जिला छतरपुर (2) श्रीमती अंजना पति श्री यादवेन्द्र सिंह पार्षद नगर परिषद घुवारा जिला छतरपुर के विरुद्ध धारा 109-120वी भा.द.वि. एवं 13(1) बी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018 के तहत आरोप प्रमाणित पाये जाने से प्रकरण में अभियोजन कार्यवाही हेतु भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 की धारा-19 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति दी जाती है।

Ray

(पार्थ जैसवाल)

कलेक्टर

जिला छतरपुर म.प्र.

अनुभाग अधिकारी

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Mason